

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/92/2012

दर्ज दिनांक:-08.06.2012

1. पतराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. महेन्द्रसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

हरभानसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी पतराम की मृत्यु हो चुकी है व मृतक पतराम की वारिस उसकी एक पुत्री मानो पत्नि दुर्गसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है मृतक वादी के वारिसान की तरफ वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दावा में एक मात्र वादी है अन्य वादीगण नहीं है। अतः मृतक की तरफ से दावा पोषनीय नहीं रह जाता है। अतः दावा मेन्टेनेबिल नहीं होने खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादी पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

